28-12-21	पत्रावली पेश हुई। उ.प्र.अ.भ.-4 [illegible] के जवाब जरिये पत्रांक 2021/177 दि0 16-12-21 प्राप्त। अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 159 दिनांक 22.12.21 सूचित किया जाना चाहिए कि निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर प्रस्तुत करें। इसके पश्चात जरिये पत्रांक 176 दि0 16-12-21 से सूचना प्रेषित किया जाना चाहिए किन्तु ऐसी स्थिति में अब कोई कार्यवाही शेष रहना चाहिए नहीं है। इसके पश्चात अपीलार्थी से भी कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ है अतः अपील निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया जाय। अपर कलक्टर (द्वितीय) जनपद

D/Faisal/Rti New Files